प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

सेवा में,

प्रबन्धक
आर0एल0 एकेडमी सेकेण्ड्री स्कूल,
हरैयालाला, सलेमपुर, देवरिया।

पत्रांकःपरि0 / क0लि0 / मान्यता / 15148-149 / 2016–17 दिनांकः 28.06.2016

विषयः–अशासकीय जू0हा0स्कूल (कक्षा–6से 8 तक) की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मान्यता की नयी नियमावली के सन्दर्भ में निम्न प्राविधान है– **''प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।''**

उक्त के क्रम में आपके विद्यालय की जांच करायी गयी जांचोपरान्त, कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने पर आपको कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रदत्त अस्थायी मान्यता पत्रांकःआ0लि0 / 1650 / 2013–14 दिनांक 29.06.2013 के क्रम में आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय के रूप में अधिकृत किया जाता है।

भवदीय

(राजीव कुमार यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

पृ0सं0ःपरि0 / क0लि0 / मान्यता / / 2016–17 दिनांक वही।

प्रतिलिपिः– खण्ड शिक्षा अधिकारी वि0क्षे0–सलेमपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।